नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 34 पुलिस बूथ एवं ट्रैफिक अम्ब्रेला को बी0ओ0टी0 के माध्यम से निर्मित किये जाने की एवज में 15 वर्षो हेतु विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु दिनांक 22.09.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित निविदा की प्री–बिड मीटिंग दिनांक 08.09.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति का विवरण।

1. श्री विरेन्द्र रावत, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
2. श्री नरेश चन्द्र नौडियाल, नायब तहसीलदार नगर निगम देहरादून।
3. श्री विनय प्रताप सिंह, कर अधीक्षक भूमि नगर निगम देहरादून।
4. श्री रमेश चौहान पी0आई0यू0 सैल नगर निगम देहरादून।
5. श्रीमनहर शर्मा, मै0 मीडिया प्रोफेशनल।
6. श्री संजय गर्ग, मै0 एडवर्ड।
7. श्री कुशाग्र, मै0 कैटलिस्ट।
8. श्री पीयूष नांगलिया मै0 स्टीमुलस।
9. श्री साहिद हकीम, मै0 वॉलप एडवरटाईजिंग प्रा0लि0।
10. श्री जय समल।

प्री–बिड बैठक में निम्न विषयों पर आपत्ति दर्ज की गयी।

1. श्री मनहर शर्मा मै0 मीडिया प्रोफेशनल द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियामावली के क्लाज संख्या अध्याय 6 के बिन्दु संख्या–12 के अनुसार फाईनेसियल कैपेसिटी नेटवर्थ निर्धारित प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत होना चाहिये जो कि वर्तमान आर0एफ0पी0 में 3.00 करोड़ मांगी गयी है।उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमवाली 2008 के अनुसार प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25 प्रतिशत किये जाने से प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा।
2. श्री मनहर शर्मा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम संख्या–67 के अनुसार रू0 50.00 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट हेतु टू–बिड सिस्टम ई0ओ0आई0–आर0एफ0पी0 अपनाया जाना उचित है।
3. श्री मनहर शर्मा द्वारा पूछा गया कि प्रोजेक्ट के लिये भूमि की उपलब्धता नगर निगम द्वारा करायी जायेगी अथवा नही।
4. श्री साहिद हकीम मै0 वालअप द्वारा पूछा गया कि क्या ट्रैफिक पुलिस का टैन्डर में कोई हस्तक्षेप है।
5. श्री साहिद हकीम द्वारा अवगत कराया गया कि सी0सी0टी0वी0 कैमरा आर0एफ0के अनुसार बूथ एवं अम्ब्रेला दोनो पर लगाये जाने है उनके द्वारा इस विषय में यह पूछा गया कि कब और कैसे हम इन कैमरों को पुलिस कन्ट्रोल रूम के मॉनिटरिंग सिस्टम से जोंड़ेगे।
6. श्री साहिद हकीम द्वारा पूछा गया कि आर0एफ0पी0 में अंकित शुल्क रू0–1,20,000/– नगर निगम द्वारा लिये जाने वाला कोई विज्ञापन शुल्क है अथवा नही।
7. श्री साहिद हकीम द्वारा पूछा गया कि बूथ के चारो तरफ फूलदान रखना अनिवार्य है अथवा नही।
8. मै0 मीडिया 24 X 7 एवं मै0 एडवर्ड के प्रतिनिधि श्री संजय गर्ग द्वारा पूछा गया कि नगर निगम को विज्ञापन शुल्क बूथ/अम्ब्रेला निर्माण होने के पश्चात दी जानी है अथवा निर्माण से पूर्व दी जानी है। इसके लिये आर0एफ0पी0 में क्या प्राविधान है कही पर आर0एफ0पी0 में 06 माह का समय कंस्ट्रक्शन हेतु दिया गया है तथा कहीं पर 01 वर्ष का समय कंस्ट्रक्शन हेतु दिया गया है।
9. इसी प्रकार आर0एफ0पी0 में विज्ञापन शुल्क की बढ़ोत्तरी हेतु कही पर प्रत्येक वर्ष पश्चात 10 प्रतिशत निर्धारित है तथा कहीं पर 02 वर्ष पश्चात 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किये जाने का प्राविधान है।
10. आर0एफ0पी0 के Marking System के बिन्दु संख्या–02 Experience के भाग–प्रथम में बी0ओ0टी0 बेसिस में कम से कम अनुभव 03 वर्ष हेतु 05 अंक निर्धारित है तथा 05 वर्ष से अधिक अनुभवन वाले निविदादाता हेतु 05 अंक निर्धारित है।

16/09/16
कर अधीक्षक भूमि
नगर निगम देहरादून

16.9.16
नायब तहसीलदार
नगर निगम देहरादून

16.09.16

16/09/16

उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में संशोधित बिन्दु।

बिन्दु संख्या–01 में आर0एफ0पी0 के Marking System के बिन्दु संख्या–03 के भाग–द्वितीय में नेटवर्थ कुल परियोजना लागत यानि की रू0–88.00 लाख की 25 % समझा जाय। इस प्रकार Marking हेतु रूपये–22.00 लाख =5 व रूपये 22.00 लाख से अधिक = 10 होगा।

बिन्दु संख्या–02 में अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधान के अनुसार R.F.P Two Bid System के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की गयी है।

बिन्दु संख्या–03 के अनुसार बूथ एवं अम्ब्रेला निर्माण हेतु संलग्न सूची के अनुसार यदि किसी भी स्थल पर विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा कराकर अथवा स्थल उपलब्ध न होने की दशा में अन्यत्र स्थान/भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

बिन्दु संख्या–04 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि योजना के क्रियान्वयन में पुलिस विभाग का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही है किन्तु योजना में निर्मित पुलिस बूथ एवं अम्ब्रेला का उपयोग पुलिस विभाग द्वारा किया जाना है जिस हेतु पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है।

बिन्दु संख्या–05 में अवगत कराना है कि पुलिस बूथ एवं ट्रैफिक अम्ब्रेला दोनो में ही सी0सी0टी0वी0 कैमरों को लगाया जाना है। यदि उक्त कैमरों को पुलिस कन्ट्रोल रूम से जोड़ा जायेगा तो उक्त कार्य पुलिस विभाग अपने स्तर से करायेगा।

बिन्दु संख्या–06 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रूपये 1,20,000/– की धनराशि विज्ञापन तैयार करने की एवज में हुए व्यय के रूप मे क्वालीफाईड निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।

बिन्दु संख्या–07 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आर0एफ0पी0 के अनुसार गमले आदि लगाना अनिवार्य है।

बिन्दु संख्या–08 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विज्ञापन शुल्क पुलिस बूथ एवं अम्ब्रेला निर्माण हेतु निर्धारित अवधि के पश्चात दिया जाना है। तथा आर0एफ0पी0 में जहां पर निर्माण अवधि त्रुटिवश 01 वर्ष अंकित हुआ है उसे 06 माह समझा जाय।

बिन्दु संख्या–09 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आर0एफ0पी0 में विज्ञापन शुल्क की बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत निर्धारित है तथा कहीं पर त्रुटिवश प्रत्येक 02 वर्ष अंकित हुआ है उसे 01 वर्ष ही समझा जाय।

बिन्दु संख्या–10 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार आर0एफ0पी0 के Marking System के बिन्दु संख्या–02 Experience के भाग–प्रथम में बी0ओ0टी0 बेसिस में कम से कम अनुभव 05 वर्ष हेतु 05 अंक तथा 05 वर्ष से अधिक अनुभव वाले निविदादाता हेतु 05 अंक निर्धारित समझा जाय।

16/09/16
कर अधीक्षक भूमि
नगर निगम देहरादून

16.9.16
उप तहसीलदार
नगर निगम देहरादून

16.09.16

16/09/16